



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अगस्त 06, 2022\*

#### \*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 165 वाहनो का चालान व 07 वाहनो से 8500/रु0 का शमन शुल्क वसूल किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

#### \*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता राजमती पत्नि दयानन्द नि0 गोपी कोईरिया टोला थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 321/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत व अभियुक्त सुदामा पुत्र श्रीकांत नि0 अमरुतिया पासी टोला थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना फरेंदा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता सीमा पत्नि जितेन्द्र निषाद नि0 भारी बैसी नर्सरी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता धनावता देवी पत्नि राजेश नि0 मैनहवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त राजकुमार पुत्र जमुना प्रसाद नि0 बैठवलिया थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 380/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### \*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** थाना सोनौली द्वारा अभियुक्त अज्ञात से 01 मोटरसाईकिल, 14 बोरी खाद व 02 अदद लावारीश साईकिल पर बरामद कर थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

**\*थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** थाना नौतनवा द्वारा अभियुक्त अज्ञात से, 04 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** थाना परसामलिक द्वारा अभियुक्त अज्ञात से 10 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना परसामलिक पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 02 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 05/06.08.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***